रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 3, 2014/पौष 13, 1935
No. 3] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 3, 2014/PAUSHA 13, 1935

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2014

सं. 20-90/2013-एस.पी.-II.—केंद्रीय सरकार चीनी फैक्ट्रियों की देयता स्थिति में सुधार करने के विचार से पिछले चीनी मौसमों के गन्ना मूल्य बकायों के भुगतान करने में उन्हें सक्षम बनाने के लिए और गन्ना किसानों को केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित उचित एवं लाभकारी मूल्य से संबंधित चालू चीनी मौसम के गन्ना मूल्य का समय पर व्यवस्थापन करने के लिए एततद्द्वारा निम्नलिखित स्कीम 'चीनी उपक्रमों 2014 को वित्तीय सहायता देने हेतु स्कीम' को अधिसूचित करती है, यथा :—

1. ऋण का उद्देश्य.—चीनी मिलों द्वारा ऋण का उपयोग पिछले चीनी मौसमों के गन्ना मूल्य बकाया की निकासी के लिए तथा गन्ना किसानों को केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित उचित एवं लाभकारी मूल्य से संबंधित वर्तमान चीनी मौसम के गन्ना मूल्य के समय पर व्यवस्थापन करने के लिए किया जाएगा।

2. ऋण की रूपात्मकताएं और विस्तार.—

(i) ऋण उन चीनी मिलों को स्वीकृत किए जाएंगे जो 2013-14 चीनी मौसम के दौरान कार्यशील रही हैं और ऋण की प्रमात्रा पिछले तीन चीनी मौसमों के उत्पाद कर, उपकर और चीनी संबंधी अतिरिक्त कर (निर्यात अथवा उपलब्ध सेनवेट के लिए सैद्धान्तिक समतुल्यता शामिल है) के समकक्ष होना चाहिए।

(ii) ऋण की अवधि 5 वर्ष की होगी जिसमें 2 वर्ष का विलंबन काल शामिल है।

(iii) ऋण दिया जाना संवीक्षा 5 वर्षों के आगामी नकद प्रवाह, व्यवहार्यता बनाए रखना और ऋण आपूर्ति क्षमता, ऋण के कार्यसंचालन से संबंधित विभिन्न मानकों के विषयाधीन होंगे जिसमें समय-समय पर चीनी उद्योग के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित

दिशानिर्देशानुसार पुनर्संरचना शामिल है। ऋणों को ऋण प्राप्त करने वाले संबंधित चीनी उद्योग की प्रतिभूतियों और संपार्श्विक से पिष्टपेषित किया जाएगा जिसमें व्यक्तिगत गारंटियां और प्रवर्तकों की अन्य परिसम्पत्तियाँ शामिल हैं जो पृथक बैंकों द्वारा निर्णय लिए जाने वाले ऋणभारों से स्वतंत्र होती हैं।

(iv) एनपीए इकाइयों को भी स्कीम के अंतर्गत कवर किया जाता है बशर्ते की राज्य सरकार उनके ऋणों के लिए गारंटी दे दे।

(v) इस अधिसूचना के अनुसरण में ऋणदाता बैंकों द्वारा वे सभी ऋण जो 30 जून, 2014 तक स्वीकृत कर दिये जाते हैं और 30 सितंबर, 2014 तक संवितरित कर दिए जाते हैं उन्हें ब्याज परिदान सुविधा के अंतर्गत कवर किया जाएगा।

(vi) वितरण एक पृथक खाते में किया जाएगा ताकि उक्त उद्देश्य हेतु धनराशि की उपयोगिता की निगरानी सरलता से की जा सके।

(vii) वित्तीय सेवा विभाग स्कीम को प्रचालनात्मक बनाने के लिए बैंकों को उचित निर्देश जारी करेगा जिसमें नोडल बैंक का नियोजन शामिल होगा।

3. ब्याज परिदान का विस्तार.—

(i) बैंकों द्वारा प्रभारित वास्तविक दर पर अथवा 12 प्रतिशत तक ब्याज परिदान, इनमें से जो भी कम हो, सामान्य बैंकिंग प्रथा के अनुसार चीनी मिलों को भागीदारी अनुसूचित बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण की कुल अवधि अर्थात् 5 वर्षों के लिए जिसमें 2 वर्ष का विलंबन काल शामिल है, के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

(ii) यदि खाता नियमित रहता है अर्थात् मूल का पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार होता है तो पुनर्भुगतान अवधि अर्थात् तीसरे से पांचवे वर्ष के दौरान ब्याज परिदान केन्द्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। यदि कोई चीनी मिल मूल के भुगतान में चूक करती है तो जब तक खाता अनियमितता रहता है तब तक उसे ब्याज परिदान का लाभ नहीं दिया जाएगा और चीनी मिल मूल के साथ-साथ चूक की अवधि के लिए ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए जिम्मेदार होगी। इसके अतिरिक्त बैंक चूककर्ता कर्जदार के खिलाफ बैंकिंग मानकों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

(iii) कर्जदारों के पास विलंबन काल अथवा पुनर्भुगतान अवधि के दौरान यदि नकद प्रवाह अधिक होता है तो त्वरित भुगतानों पर विचार किया जाएगा जिसका निर्णय बैंक द्वारा लिया जाना है और ऋण खाते के प्रति खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की ब्याज परिदान देयता को तदनुसार घटा दिया जाएगा।

4. केन्द्रीय सरकार द्वारा ब्याज परिदान की राशि के भुगतान की रूपात्मकताएं.—खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग वित्तीय सेवा विभाग द्वारा नियोजित नोडल बैंक को अग्रिम रूप से तिमाही आधार पर ब्याज परिदान राशि जारी करेगा। तीसरी तिमाही से राशि अग्रिम रूप से जारी कर दी जाएगी जो खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग को पिछली तिमाही से पूर्व की तिमाही के लिए बैंक द्वारा अर्जित ब्याज और संवितरण ब्यौरों को प्रस्तुत करने के विषयाधीन होगी। अग्रिम ब्याज परिदान संबंधी अर्जित ब्याज को तीसरी तिमाही से तिमाही किस्त में समायोजित किया जाएगा।

5. उपयोगिता प्रमाण-पत्र.—संबंधित चीनी मिलें संबंधित चीनी/गन्ना आयुक्त से विधिवत् सत्यापित उपयोगिता प्रमाणपत्र को प्रस्तुत करेंगी जिसमें यह प्रमाणित किया जाएगा कि ऋण की राशि का उपयोग स्कीम में विनिर्दिष्ट उद्देश्य हेतु कर लिया गया है। राज्य चीनी/गन्ना आयुक्त ऋण की उपयोगिता की भी निगरानी रखेंगे। यदि कभी उपयोगिता प्रमाणपत्र को प्रस्तुत करने में असफल रहते हैं तो केन्द्रीय सरकार द्वारा ब्याज परिदान की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

टी. जेकब, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd January, 2014

No. 20-90/2013-SP.-II.—The Central Government, with a view to improve the liquidity position of sugar factories for enabling them to clear cane price arrears of previous sugar seasons and timely settlement of cane price of current sugar season relating to the Fair and Remunerative Price (FRP) fixed by the Central Government, to the sugarcane farmers, hereby notifies the following scheme, namely :— "Scheme for Extending Financial Assistance to Sugar Undertakings, 2014"

1. Purpose of loan.—The loan will be utilized by the sugar mills for clearance of cane price arrears of previous sugar seasons and timely settlement of cane price of current sugar season relating to the Fair and Remunerative Price (FRP) fixed by the Central Government to the sugarcane farmers.

2. Modalities and extent of loan.—

(i) Loans will be sanctioned to the sugar mills which have been functional during 2013-14 sugar season and the quantum of loan would be equivalent to last three sugar seasons' excise duty, cess and surcharge on sugar paid by the mill (including notional equivalence for exports or availed Cenvat).

(ii) The loan duration would be 5 years including 2 years of moratorium.

(iii) The lending will be subject to various norms relating to scrutiny, future cash flows of five years, establishing the viability & debt servicing capacity, conduct of loan including the restructuring guidelines as notified by RBI for the sugar industry from time to time. The loans will be backed by the security and collateral of the concerned sugar industry availing the loan including personal guarantees and other assets of promoters which are free from encumbrances to be decided by the individual banks.

(iv) The NPA units are also covered under the scheme provided the State Government gives guarantee for their new loans.

(v) All loans which are sanctioned by 30th June, 2014 and disbursed by 30th September, 2014 by the lending banks, pursuant to this notification, would be covered under interest subvention facility.

(vi) The disbursement shall be in a separate account so that the utilization of the money for the said purpose is easily monitored.

(vii) The Department of Financial Services (DFS) will issue suitable instructions to the banks to operationalize the scheme including appointment of a nodal bank.

3. Extent of interest subvention.—

(i) Interest subvention up to 12% or at actual rate charged by the banks, whichever is lower, as per normal banking practice shall be provided to the sugar mills through participating Scheduled Commercial Banks, Regional Rural Banks and Cooperative Banks for the total duration of the loan, *i.e.*, 5 years including 2 years moratorium.

(ii) The interest subvention during the repayment period *i.e.* from 3rd to 5th year would be provided by the Central Government if the account is regular, i.e., the repayment of principal is as per schedule. If a sugar mill defaults on payment of principal, the benefit of interest subvention will not be available as long as the account is irregular and the sugar mill will be responsible for repayment of interest for

the period of default along with the principal. Further, banks will be free to take necessary action against the defaulting borrower as per banking norms.

(iii) In the event of surplus cash flow during moratorium or repayment period with the borrowers, accelerated payments will be considered to be decided by the bank and the interest subvention liability of DFPD towards loan account would accordingly get reduced.

4. Modalities of payment of interest subvention amount by Central Government.—The Department of Food and Public Distribution (DFPD) will release the interest subvention amount on quarterly basis in advance to the nodal bank as appointed by DFS. The amount from third quarter onwards shall be released as advance subject to furnishing of disbursement particulars as well as interest earned by the bank for the quarter preceding the last quarter to DFPD. The interest earned on the interest subvention advance shall be adjusted in the quarterly installment from 3rd quarter onwards. The expenditure would be entirely met from SDF.

5. Utilisation certificate.—The concerned sugar mill shall submit utilization certificate duly verified by the respective sugar/cane commissioner certifying that the loan amount has been utilized for the purpose specified in the scheme. The State sugar/ cane commissioner shall also monitor the utilization of the loan. Any failure to submit the utilisation certificate shall lead to non-re-imbursement of interest subvention by the Central Government.

T. JACOB, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.